

ब अदालत श्री पी0 सी0 कौण्डल तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 18-06-2026

1. स्वरूप सिंह पुत्र दीना नाथ पुत्र बूटा, 2. सुदेश कुमारी, 3. प्रेम लता पुत्रियां, 4. मुनीष कुमार, 5. श्याम सिंह पुत्रान उदय सिंह पुत्र दीनानाथ पुत्र बूटा, निवासयान महाल परौर खास, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. रणजीत सिंह, 2. पवन कुमार पुत्रान अम्बिका देवी पुत्री दूलो राम, 3. कुमारी प्रिया चौधरी, 4. कुमारी पल्लवी चौधरी पुत्री मुकेश कुमार पुत्र अम्बिका देवी, 5. प्रदीप कुमार, 6. सोनी कुमार पुत्रान, 7. सुधा देवी, 8. बाला देवी पुत्रियां, 9. सन्धया देवी विधवा भगवान दास पुत्र महलू, 10. रमेश कुमार पुत्र महलू पुत्र खडकू, 11. रमन कुमार पुत्र, 12. रेखा देवी, 13. रजनी देवी पुत्रियां, 14. विमला देवी विधवा दयाल चन्द पुत्र महलू, 15. गोपाल कृष्ण, 16. रणजीत सिंह, 17. लेख राज, 18. दलीप कुमार, 19. मस्त राम, 20. जमना दास पुत्रान रोडा पुत्र खडकू, 21. सुदर्शना देवी पुत्री रोडा राम, 22. सुरिन्द्र कुमार पुत्र विशन दास पुत्र खडकू निवासीयान महाल परौर खास, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

भूमि खाता नं0 105, खतौनी नं0 210 ता 211, खसरा कित्ता-9, रकबा तादादी 00-47-44 है0 महाल परौर खास पटवार वृत्त परौर, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

जमेदार तहसील

प्रार्थीगण, स्वरूप सिंह पुत्र दीना नाथ पुत्र बूटा, 2. सुदेश कुमारी, 3. प्रेम लता पुत्रियां, 4. मुनीष कुमार, 5. श्याम सिंह पुत्रान उदय सिंह पुत्र दीनानाथ पुत्र बूटा, निवासयान महाल परौर खास, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस न्यायालय में तकसीम करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को तामील करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट प्रतिवादीगण दिए पते पर नहीं रहते हैं। प्रार्थीगण ने मौखिक तौर पर प्रतिवादीगण का सही पता पेश करने में असमर्थता जताई है तथा राजपत्र व मुश्त्री/मुनादी जारी करने का अनुरोध किया। अतः न्यायालय की सन्तुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को मुश्त्री/मुनादी राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-06-2026 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर/एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-05-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री पी0 सी0 कौण्डल तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 18-06-2026

1. स्वरूप सिंह पुत्र दीना नाथ पुत्र बूटा, 2. सुदेश कुमारी, 3. प्रेम लता पुत्रियां, 4. मुनीष कुमार, 5. श्याम सिंह पुत्रान उदय सिंह पुत्र दीनानाथ पुत्र बूटा, निवासयान महाल परौर खास, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. रणजीत सिंह, 2. पवन कुमार पुत्रान अम्बिका देवी पुत्री दूलो राम, 3. कुमारी प्रिया चौधरी, 4. कुमारी पल्लवी चौधरी पुत्री मुकेश कुमार पुत्र अम्बिका देवी, निवासीयान महाल परौर खास, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

भूमि खाता नं0 101, खतौनी नं0 194 ता 198, खसरा कित्ता-31, रकबा तादादी 01-31-66 है0 महाल परौर खास पटवार वृत्त परौर, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

जमेदार तहसील

प्रार्थीगण, स्वरूप सिंह पुत्र दीना नाथ पुत्र बूटा, 2. सुदेश कुमारी, 3. प्रेम लता पुत्रियां, 4. मुनीष कुमार, 5. श्याम सिंह पुत्रान उदय सिंह पुत्र दीनानाथ पुत्र बूटा, निवासयान महाल परौर खास, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस न्यायालय में तकसीम करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को तामील करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट प्रतिवादीगण दिए पते पर नहीं रहते हैं। प्रार्थीगण ने मौखिक तौर पर प्रतिवादीगण का सही पता पेश करने में असमर्थता जताई है तथा राजपत्र व मुश्री/मुनादी जारी करने का अनुरोध किया। अतः न्यायालय की सन्तुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को मुश्री/मुनादी राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-06-2026 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर/एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-05-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री पी0 सी0 कौण्डल तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 18-06-2026

1. स्वरूप सिंह पुत्र दीना नाथ पुत्र बूटा, 2. सुदेश कुमारी, 3. प्रेम लता पुत्रियां, 4. मुनीष कुमार, 5. श्याम सिंह पुत्रान उदय सिंह पुत्र दीनानाथ पुत्र बूटा, निवासयान महाल परौर खास, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. सतीश कुमार, 2. सुनील कुमार, 3. सुशील कुमार पुत्रान, 4. समस्या देवी पुत्री, 5. विमला देवी विधवा श्याम लाल पुत्र किरपा राम, 6. शुभम पुत्र सुकन्या देवी पुत्री श्याम लाल, 7. भुवनेशवा कुमार, 8. लोकेश कुमार पुत्रान, 9. कुसमालता पुत्री लदमण पुत्र नैनु, 10. कृष्ण कुमार पुत्र परमेश्वरी दास, 11. स्वर्णा देवी विधवा

ओम प्रकाश पुत्र रावण, 12. शान्ति स्वरूप पुत्र रावण पुत्र मिलाप चन्द, निवासीयान महाल परौर खास, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

भूमि खाता नं0 131, खतौनी नं0 185 ता 189, खसरा कित्ता-9, रकबा तादादी 00-72-28 है0 महाल मच्छलैना, पटवार वृत्त सुलह कस्बा, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

जमेदार तहसील

प्रार्थीगण स्वरूप सिंह पुत्र दीना नाथ पुत्र बूटा, 2. सुदेश कुमारी, 3. प्रेम लता पुत्रियां, 4. मुनीष कुमार, 5. श्याम सिंह पुत्रान उदय सिंह पुत्र दीनानाथ पुत्र बूटा, निवासयान महाल परौर खास, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने इस न्यायालय में तकसीम करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को तामील करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट प्रतिवादीगण दिए पते पर नहीं रहते हैं। प्रार्थीगण ने मौखिक तौर पर प्रतिवादीगण का सही पता पेश करने में असमर्थता जताई है तथा राजपत्र व मुश्री/मुनादी जारी करने का अनुरोध किया। अतः न्यायालय की सन्तुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को मुश्री/मुनादी राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-06-2026 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर/एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-05-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री पी0 सी0 कौण्डल तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 18-06-2026

1. स्वरूप सिंह पुत्र दीना नाथ पुत्र बूटा, 2. सुदेश कुमारी, 3. प्रेम लता पुत्रियां, 4. मुनीष कुमार, 5. श्याम सिंह पुत्रान उदय सिंह पुत्र दीनानाथ पुत्र बूटा, निवासयान महाल परौर खास, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. रणजीत सिंह, 2. पवन कुमार पुत्रान अम्बिका देवी पुत्री दूलो राम, 3. कुमारी प्रिया चौधरी, 4. कुमारी पल्लवी चौधरी पुत्री, 5. मुकेश कुमार पुत्र अम्बिका देवी, 6. चन्द्रेश कुमारी विधवा मुकेश कुमार, 7. प्रदीप कुमार, 8. सोनी कुमार पुत्रान, 9. सुधा देवी, 10. बाला देवी पुत्रियां, 11. सन्धया देवी विधवा भगवान दास पुत्र महलू, 12. रमेश कुमार पुत्र महलू पुत्र खडकू, 13. रमन कुमार पुत्र, 14. रेखा देवी, 15. रजनी देवी पुत्रियां, 16. विमला देवी विधवा दयाल चन्द पुत्र महलू, 17 गोपाल कृष्ण, 18. रणजीत सिंह, 19. लेख राज, 20. दलीप कुमार, 21. मस्त राम, 22. जमना दास पुत्रान रोडा पुत्र खडकू, 23. सुदर्शना देवी पुत्री रोडा राम, 24. सुरिन्द्र कुमार पुत्र विशन दास पुत्र खडकू निवासीयान महाल परौर खास, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

भूमि खाता नं० 363, खतौनी नं० 658 खसरा नं० 1649, रकबा तादादी 00-7-11 है० महाल परौर खास पटवार वृत्त परौर, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

जमेदार तहसील

प्रार्थीगण, स्वरूप सिंह पुत्र दीना नाथ पुत्र बूटा, 2. सुदेश कुमारी, 3. प्रेम लता पुत्रियां, 4. मुनीष कुमार, 5. श्याम सिंह पुत्रान उदय सिंह पुत्र दीनानाथ पुत्र बूटा, निवासयान महाल परौर खास, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा हि०प्र० ने इस न्यायालय में तकसीम करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को तामील करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट प्रतिवादीगण दिए पते पर नहीं रहते हैं। प्रार्थीगण ने मौखिक तौर पर प्रतिवादीगण का सही पता पेश करने में असमर्थता जताई है तथा राजपत्र व मुश्री/मुनादी जारी करने का अनुरोध किया। अतः न्यायालय की सन्तुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को मुश्री/मुनादी राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-06-2026 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर/एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-05-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री ललित कुमार, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : 7016103/2026

किस्म : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 26-06-2026

राज कुमारी पुत्री मस्त राम, गांव लघां, डाकघर जालग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)
वर्तमान पत्नी श्री रविन्द्र चन्द, गांव अप्पर दत्तल, डाकघर टिककर, तहसील पंचरुखी, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

राज कुमारी पुत्री मस्त राम, गांव लघां, डाकघर जालग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 10-03-1969 को गांव लघां, डाकघर जालग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) अझैर ग्राम पंचायत जालग में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरे किसी भी परिवार के सदस्य ने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत जालग के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत जालग को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राज कुमारी पुत्री मस्त राम, गांव लघां, डाकघर जालग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) के जन्म दिनांक 10-03-1969 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 02-06-2026 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर

अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश उप स्थानीय पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत जालग को पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12-05-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
